

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहक
हुक्म
में

प्रकरण से संबंधित वाप्य श्रीमान् SO & RMA
जिलेफत, भरतपुर के द्वारा तलब करने पर रिजल्ट
गंगा तथा संबंधित में श्रमिकों को लीड पीडल पण्ड
कोड्ड विभाजन नहीं हुआ है अतः सहकारित्पारान
का प्रलेख इन पर कल्पित माना जाना जाजित है

अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रथम
कृष्णा भागला रण सुविद्या का संतुलन प्रार्थि
के हक में उही होला है
नहीं

इंकि पक्षकारान सहकारित्पारान है तथा
पक्षकारान के हक में का निश्चरिण दबि में
कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात तथा
गुणावगुण के आधार पर ही सैकेगा। तब
तक अन्य सहकारित्पारान को अस्थाई निषेधात्रा
से पाबन्द किया जागा उचित नहीं समझा है।
तथा प्रार्थक पत्र को स्वीकार किया जागा
उचित नहीं पाते है

अतः प्रार्थक पत्र प्रार्थि अंतर्गत चार
212 RMA इपी स्ट्ट पर खारिज किया जाला है।
पत्रावली के मल कुमार होकर नंबर से
का है तथा संलग्न मूल वाद है।

उपखण्ड अधिकारी
मुसावर (भरतपुर) राजग